समय–सीमा
अतिआवश्यक

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/वर्गीकरण/391/807 भोपाल,दिनांक 06/05/2016

प्रति,

संयुक्त/उपसंचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा।

विषयः–वर्गीकरण हेतु आंशिक संशोधन करने के संबंध मे।

म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 वर्ष 1973) की धारा 25–क की उपधारा (1) एवं सहपठित म.प्र.कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 के नियम (3) के अधीन विहित मानकों के आधार पर नियम (2) के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियो को उनकी विगत 3 वित्तीय वर्षो 2012–13, 3013–14 तथा 2014–15 ''माह अप्रैल से मार्च तक'' की औसत आय (मण्डी फीस @1% + अनुज्ञप्ति (लायसेंस) फीस=वास्तविक आय) के आधार पर कृषि उपज मण्डी समितियो का वर्गीकरण आदेश दिनांक 09.02.2016 जारी किया गया था।

कृषि उपज मण्डी समितियो के वर्गीकरण आदेश मे आंशिक संशोधन करने के संबंध मे कृषि उपज मण्डी समिति मनावर एवं कुक्षी से प्रस्ताव प्राप्त हुये है। इस संबंध मे प्रबंध संचालक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि कपास की मंडियो के वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 ''माह अप्रैल से मार्च तक'' की पुनः आय की जानकारी प्राप्त कर मंडियो का वर्गीकरण हेतु गठित समिति द्वारा समीक्षा की जाये।

प्रबंध संचालक महोदय के निर्देश अनुसार आपके क्षेत्रान्तर्गत कपास की मंडियो के वर्ष 2012–13, 3013–14 तथा 2014–15 ''माह अप्रैल से मार्च तक'' आय (मण्डी फीस + अनुज्ञप्ति (लायसेंस) फीस=वास्तविक आय) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे अपने स्पष्ट अभिमत सहित मुख्यालय को दिनांक 10.5.2016 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये निर्धारित समय–सीमा के उपरांत प्राप्त प्रस्तावो पर मुख्यालय द्वारा कोई विचार नही किया जायेगा। आय का प्रत्रक संलग्न प्रेषित है।

(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार)

06.5.16

उप संचालक(नियमन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

संदीप

क. / बी–6 / नियमन / वर्गीकरण / 391 / 808 भोपाल, दिनांक 06 / 05 / 2016

प्रतिलिपि :–

1 निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड।

2 निज सहायक, अपर / संयुक्त / उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड सूचनार्थ प्रेषित।

06.5.16

उप संचालक(नियमन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला...................

विगत 03 वित्तीय वर्षो 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 आय का प्रत्रक

क	वर्ष	कुल आय	01 प्रतिशत की दर से कपास पर प्राप्त मंडी शुल्क	02 प्रतिशत अन्य ज़िंसो से प्राप्त मंडी शुल्क	विकास निधि 1 प्रतिशत की दर से	शेष मंडी शुल्क 01 प्रतिशत की दर से	अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस)	कालम नं. 4+7+8 का कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला...............................